

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
<b>आश्विन 30, शुक्रवार, शाके 1943-अक्टूबर 22, 2021</b> <i>Asvina 30, Friday, Saka 1943- October 22, 2021</i>		

**भाग-1(ख)**

**महत्वपूर्ण सरकारी आजायें।**

**परिवहन विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, अक्टूबर 20, 2021**

**संख्या एफ.6(319)परि/कर/मु/2018/18873 :-**मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 88 की उप-धारा (5) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में प्रस्थापित करार का प्रारूप जिसमें प्रत्येक मार्ग या क्षेत्र के संबंध में मंजूर किये जाने या प्रतिहस्ताक्षर किये जाने हेतु प्रस्थापित अनुज्ञापत्रों की अधिकतम संख्या उपर्युक्त की गई है, उससे संभवतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों की सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त करार के प्रारूप पर दिनांक 19.11.2021 को विचार किया जावेगा।

इस अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन से 30 दिन के भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान जयपुर द्वारा उनके कार्यालय, परिवहन भवन सहकार मार्ग, जयपुर स्थित कक्ष में दिनांक 19.11.2021 को अपरान्ह 2:30 बजे विचार किया जायेगा।

**दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य पारस्परिक सामान्य परिवहन करार**

चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें क्षेत्रीय योजना 2021 के पैरा 2.1 में यथा परिभाषित और समय-समय पर संशोधित अनुलग्नक-एक में विद्यमान एनसीटी दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग समविष्ट हैं, में प्रभावी परिवहन प्रणाली के विकास को सुगम बनाने के हित में अन्तर्राजिक परिवहन के अप्रतिबन्धित<sup>1</sup> और निर्बाध<sup>2</sup> संचालन, प्रदूषण में कमी और बाधाओं/भीड़-भाड़ को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों के बीच एक पारस्परिक सामान्य मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी परिवहन समझौते की अत्यन्त आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्रों को प्रदिशित करने वाला मानचित्र अनुलग्नक-दो पर है।

अत एव, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें एतद्वारा निम्नलिखित निबन्धन एवं भार्ता पर सहमत हैं:-

यह करार अगस्त, 2021 में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी / समनुदेशिती सम्मिलित हैं) की सरकारों के मध्य किया गया।

चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के त्वरित आर्थिक विकास और पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के अन्तर्राजिक परिवहन के निर्बाधित और अबाध संचालन को प्रोत्साहित किया जाये और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाये, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक राज्यों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा,

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य और उनके माध्यम से पारस्परिक सामान्य करार करना आवश्यक है।

और चूंकि इससे सम्बद्ध पक्षकार करार करते हैं कि यह करार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निमित्त उक्त विषय में उनके मध्य हुए पूर्ववर्ती करारों को अधिक्रमित करता है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एतद्वारा लागू अन्य समस्त करारों पर इस करार का अध्यारोही प्रभाव होगा।

अब यह विलेख साक्षी है और उक्त पक्षकार एतद्वारा पारस्परिक रूप में निम्नलिखित करार करते हैं :—

1. हस्ताक्षरित करार एन सी आर पी बी द्वारा जारी होने पर यह करार तत्काल प्रभाव से लागू होगा। क्षेत्र में यान के संचालन के लिए मा० न्यायालय के विशिष्ट आदेशों/निर्देशों का पालन<sup>3</sup> करना होगा।

- 1. अन्तर्राज्यीय यातायात की अप्रतिबन्धित आवाजाही एनसीआर जिलों में पंजीकृत वाहनों की आवाजाही है, जो बाधाओं/सीमाओं पर रुके बिना है।
- 2. अन्तर्राज्यीय यातायात की निर्बाध आवाजाही या तो यात्रा के तरीके को बदले बिना या यात्रा के प्रदर्शन में मोड़ के बीच त्वरित और कुशल स्थानान्तरण के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्री वाहनों की आवाजाही है।
- 3. एनसीआर में विभिन्न अवसरों पर वाहनों की आवाजाही से सम्बन्धित मा० सर्वोच्च/ उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों को इस समझौते में सम्बन्धित राज्य के लिए लागू उनके उल्लेख के बावजूद एनसीआर में लागू किया जायेगा।

## 2. मंजिली गाड़ी परमिट/लाइसेंस

2.1 दिल्ली और राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ियों के प्रचालनों से सम्बन्धित पारस्परिक करार अनुलग्नक— “क” से “च” के अनुसार होंगे जो नीचे 2.7 के अधीन है। भविष्य में फेरों की संख्या का विनिश्चय, समय—समय पर यातायात की आवश्यकता/मांग के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

2.2 इस करार के प्रयोजनार्थ किसी फेरे का तात्पर्य प्रतिदिन एक फेरे से है। अनुलग्नक—क, ख, ग, घ, ड़ और च में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य सदैव दोनों राज्यों में स्थित उनमें उल्लिखित स्थानों से होकर जाने वाले दोनों टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे छोटे सीधे मार्गों से है। रोजाना मासिक टिकट यात्रियों को ले जाने वाली मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में दिल्ली में चढ़ने और उतरने वाले बिन्दुओं की संख्या राज्यों के मध्य पारस्परिक/द्विपक्षीय करारों के अनुसार होगी। उक्त अनुलग्नक में दर्शाये गये मार्गों के नाम या लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य पत्राचार के माध्यम से तत्परतापूर्वक ठीक किया जायेगा और उसे करार में किसी प्रकार का उपान्तरण नहीं समझा जायेगा।

2.3 अनुलग्नक “क” से “च” के अनुसार चलायी जाने वाली मंजिली गाड़ियों की समय सारिणी सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण/संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा नियत की जाएगी।

2.4 सम्बन्धित राज्य द्वारा चलायी जाने वाली बसों के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा नियत की गयी दरों के अनुसार यात्री किराये प्रभारित किये जायेंगे।

2.5 इन राज्यों की मंजिली गाड़ी परमिट/लाइसेंस पर हस्ताक्षर इस सामान्य करार के प्रस्तर—4 अधीन लागू कर के आधार पर किया जाएगा।

2.6 यदि किसी कारण से वैधता समाप्त होने से पूर्व परमिट/लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु किसी आवेदन-पत्र का विनिश्चय करना सम्भव न हो रहा तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन गृह राज्य अस्थायी परमिट/लाइसेंस जारी कर सकता है।

2.7 व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा अपने राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मार्गों पर राज्य परिवहन उपकरणों या उनके सहयोगी या राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरणों के अन्य निजी संचालकों के मंजिली गाड़ियों से भिन्न किसी मंजिली गाड़ी के लिए राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत मार्गों या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, योजना में की गयी किसी व्यवस्था के अलावा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे मार्ग(मार्गों) या क्षेत्र (क्षेत्रों) पर परमिट/लाइसेंस स्वीकृत या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जायेगा। परन्तु किसी भी खराबी या किसी आकस्मिकता के मामले में इन राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम (या सम्बन्धित राज्य में उनके सहयोगी) समझौते के किसी मार्ग पर स्वयं के बेड़े की किसी वाहन का संचालन कर सकेंगे।

2.8 व्यतिकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समग्र सार्वजनिक मांग पर लिखित पारस्परिक करार द्वारा नये मार्गों पर मंजिली गाड़ियों की सेवायें जोड़ सकते हैं या किसी विद्यमान मार्ग पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। व्यतिकारी राज्य द्वारा इस करार के अन्तर्गत लागू कर के अधीन ऐसी मंजिली गाड़ियों की सेवाओं के लिए परमिट/लाइसेंस का प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

#### **2.9 मंजिली गाड़ियों के लिए कॉरीडोर व्यवस्था:**

2.9.1 मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुशरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए यह कॉरीडोर व्यवस्था केवल यात्रियों की आवाजाही तक सीमित है। एनसीआर के अन्य घटक राज्य भी एनसीआर के अन्य संघटक राज्यों के साथ पारस्परिक परामर्श से अन्तर्राज्यीय बस सेवाओं की आवाजाही के लिए समान कॉरीडोर को परिभाषित कर सकते हैं।

2.9.2 कॉरीडर व्यवस्था के अधीन यातायात सबसे छोटे, सीधे और विनिर्दिष्ट मार्ग से ही सहभागी राज्यों में प्रवेश करेंगे तथा बाहर निकलेंगे।

2.9.3 एनसीआर के संघटक राज्यों के मध्य इस करार में की गयी व्यवस्था से इतर कॉरीडोर व्यवस्था का लाभ लेने वाला यातायात राज्य के कॉरीडोर के भीतर यात्रियों को न चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

2.9.4 कॉरीडोर राज्य को, कॉरीडोर राज्य द्वारा तय किये गये मार्ग से गुजरने वाले यातायात के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार होगा।

### **3. ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस**

3.1 मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा परमिट/लाइसेंस (गैर अस्थायी/गैर विशेष परमिट/लाइसेंस) पैरा 5.4 के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करने वाली और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत मोटर कैब/आटो रिक्शा के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होगा। ऐसे अन्य घटक राज्यों में, ऐसी वाहनें अप्रतिबन्धित चल सकेंगी।

3.2 राज्य, जहां एनसीआर क्षेत्र में वाहन पंजीकृत है, में परमिट/लाइसेंस फीस जमा करने पर अतिरिक्त परमिट/लाइसेंस फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि इन वाहनों के परमिट/लाइसेंस के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

3.3 एनसीआर क्षेत्र में आटो रिक्शा का अन्तर्राज्यीय संचालन अनुलग्नक— III में दी गयी संख्या के अनुसार होगा। दिल्ली में आटो रिक्शा का अन्तर्राज्यीय संचालन मात्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी संख्या की सीमा में छूट के अधीन होगा।

3.4 मोटर कैब/आटो रिक्शा/टैक्सी से भिन्न ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस (मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन गैर अस्थायी परमिट), शैक्षणिक संस्थान बसें जिनका उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों/स्टाफ को अपनी किसी भी गतिविधि के संबंध में परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है, सहित मोटर कैब से भिन्न वाहनों जो पैरा 5.4 के अनुसार मानदंडों को पूर्ण करती हैं और एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत हैं, के प्रति किसी एक राज्य द्वारा जारी ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस का दूसरे संघटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होगा।

3.5 ठेका गाड़ी परमिट लाइसेंस (मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन अस्थायी/विशेष परमिट/लाइसेंस) इन राज्यों के परिवहन प्राधिकारी द्वारा संख्या पर ध्यान न देते हुए यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना परमिट/लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं। परमिट/लाइसेंस में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए वह कम जिसमें विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया जायगा, प्रत्येक स्थान से आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक के संकेत के साथ यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा।

3.6 इस सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत इन राज्यों के ठेका गाड़ी परमिट/लाइसेंस इस करार के पैरा 4 में लागू कर के अधीन हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

#### 4. कराधान

4.1 मंजिली गाड़ी एवं ठेका गाड़ी के लिए लाइसेंस/परमिट फीस/प्रतिहस्ताक्षर फीस का निर्धारण सभी संघटक राज्यों के सदस्यों द्वारा अपनी—अपनी नीति के अनुसार किया जाएगा। यद्यपि, एनसीआर में पंजीकृत किसी यान द्वारा एनसीआर के किसी राज्य में एक बार कर जमा कर दिया हो, एनसीआर में संचालन हेतु बिना किसी फीस/कर या ऐसे किसी कर जो अन्य नाम से पुकारा जाता हो, के बिना निम्न श्रेणियों के लिए एनसीआर के दूसरे घटक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा:—

(एक) सभी मोटर कैब/टैक्सी/आटो रिक्शा।

(दो) सभी शैक्षणिक संस्थान यान।

(तीन) एनसीआर के संघटक राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों की सभी मंजिली बसें (नगर बस सेवायें सहित)

4.2 इस करार के अधीन जारी अस्थायी परमिट/लाइसेंस से सम्बंधित सूचना, रजिस्ट्रीकृत यान स्वामी (स्वामियों), यान का पंजीकृत लदान भार/मार्ग, जिसके लिये परमिट/लाइसेंस दिया गया हो और परमिट/लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि के विवरणों का उल्लेख करते हुए परमिट/लाइसेंस जारी करने वाले परिवहन प्राधिकारी द्वारा द्वारा करारकर्ता राज्य को यथाशक्य शीघ्र प्रदान की जायेगी। यह सूचना यथास्थिति परिवहन आयुक्त/सचिव, राज्य परिवहन विभाग के नाम से दी जायेगी।

4.3 इसके अतिरिक्त, अस्थायी परमिट/लाइसेंस सहित सभी परमिट (ठेका गाड़ी और मंजिली गाड़ी, जैसा लागू हो) केवल, समय—समय पर अपडेटेड वाहन साफ्टवेयर पर जारी किये जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे सभी परमिट/लाइसेंस का विवरण दूसरे राज्य द्वारा प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्त/सचिवों के मध्य स्वचालित रूप से साझा किया जायेगा।

#### 5. सामान्य

5.1 करारकर्ता राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में कर, टोकन, चालक और परिचालक लाइसेंस, परिवहन यान प्राधिकार पत्र और प्रत्येक राज्य के प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे।

5.2 यह करार हस्ताक्षर करने की तारीख से अगले 10 वर्षों के लिए या करारकर्ता राज्यों के मध्य नया करार हस्ताक्षरित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा। करारकर्ता राज्यों द्वारा आपसी सहमति से करार को करार की समाप्ति की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो, करार को पांच वर्ष बाद पुनरीक्षित किया जा सकता है।

5.3 सी ओ टी एस की वार्षिक बैठक अनिवार्य है और सी ओ टी एस के अध्यक्ष द्वारा क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु इसे बुलाया जा सकता है। एनसीआर के संघटक राज्यों के अनुरोध पर भी बैठक बुलायी जा सकती है। वार्षिक बैठकों में परिधीन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है और करार के ढांचे में परिवर्तन के लिए वार्षिक आधार पर पुनः अधिसूचना जारी की जा सकती है।

5.4 केवल प्रचलित अथवा पंजीकरण के समय उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन जो भी बाद में हो, एनसीआर क्षेत्र में चल सकेंगी।

5.5 मंजिली गाड़ी वाहनों के साथ—साथ ठेका गाड़ी वाहनों की आयु सीमा डीजल वाहनों के लिए दस वर्ष और पेट्रोल/सीएनजी वाहनों के लिए पन्द्रह वर्ष तक सीमित होगी जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता है। यद्यपि मा० सर्वोच्च न्यायालय, मा० एनजीटी और भारत सरकार (एम ओ आर टी एच) के निर्देश, जैसा लागू हो, इन प्राविधानों पर अध्यारोही प्रभाव डालेगा।

5.6 जी एन सी टी दिल्ली से होकर संचालित होने वाली राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा की अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहन बस सेवा के संचालन हेतु एनसीआर के संघटक राज्यों के परामर्श से जी एन सी टी दिल्ली, मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20–11–97 और जीएनसीटी दिल्ली द्वारा समय—समय पर निर्गत निदेशों के अनुशरण में, जैसा सक्षम प्राधकारी द्वारा निर्णीत किया जाय, कुछ कारीडोर निर्धारित कर सकता है

5.7 एनसीआर जिलों में चालकों के डेटाबेस, वाहन पंजीयन और अन्य आवश्यक सूचनाओं के कम्प्यूटीकरण की प्राथमिकता के आधार पर राज्य पहल करेंगे। आर एफ आई डी के उपयोग, गति नियंत्रण यंत्र, फास्ट टेग, ट्रामा केयर, सिंगल विन्डो टैक्स कलेक्शन, चालक के फिंगर प्रिन्ट की बार कोडिंग और जीपीएस वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का चरणबद्ध तरीके से लागू करने का भी राज्य प्रयास करेंगे। सी ओ टी एस की प्रत्येक बैठक में प्रास्थिति पर चर्चा की जायेगी।

5.8 एनसीआर के संघटक राज्यों द्वारा इस करार के अन्तर्गत पंजीकृत सभी प्रकार की वाहनों के पंजीयन के सम्बन्ध में आर सी टी ए(ठेका गाड़ी/मंजिली गाड़ी) के लागू होने की प्रास्थिति प्रत्येक छः माह में अनुलग्नक—चार में निर्धारित प्रारूप के अनुसार एन सी आर पी बी को प्रस्तुत की जायेगी। इसी प्रकार सभी श्रेणी की सीएनजी/विद्युत वाहनों की प्रास्थिति अनुलग्नक—पांच के अनुसार प्रस्तुत की जायेगी।

5.9 चालक सहित सभी परमिट/लाइसेंस धारक, चाहे स्थायी हों या अस्थायी, पुलिस सत्यापन के अधीन होंगे।

5.10 सभी लोक सेवा यानों (जिन्हें मोर्थ की अधिसूचना, 2016 द्वारा विशेष रूप से छूट दी गयी है, को छोड़कर) में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1095(ई), दिनांक 28–11–2018, मोर्थ के आदेश संख्या 11028 / 12 / 2015—एमवीएल, दिनांक 31–10–2018 द्वारा यथा अद्यतन अथवा समय—समय पर लागू वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या एक से अधिक आपात कालीन बटन लगाना अनिवार्य होगा। एनसीआर के संघटक राज्य 31–12–2018 तक पंजीकृत वाहनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय और कार्यवाही करेंगे।

5.11 पारस्परिक करार की शर्तों के अन्तर्गत जारी परमिट/लाइसेंस, सम्बन्धित राज्य के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रतिहस्ताक्षर फीस और इस

करार के अनुसार उस राज्य के तत्समय अन्य देय करों के भुगतान पर सामान्यतः तत्काल प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

5.12 मोटरयान अधिनियम, 1988 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में करारकर्ता राज्य के राज्य परिवहन उपक्रम के विरुद्ध कोई निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रम के प्रमुख को यह निर्णीत करने के लिए संदर्भित किया जायेगा कि न्यायालय की शरण लेने की बजाय क्या विभागीय कार्यवाही पर्याप्त नहीं होगी।

5.13 इसके अतिरिक्त सभी संघटक राज्यों द्वारा निम्नलिखित के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी

- (एक) एनसीआर के संघटक राज्य के उपयुक्त/लागू निर्देशों के अनुसार आरसीटीए (ठेका/मंजिली गाड़ी) के अन्तर्गत पंजीकृत सभी वाहनों के लिए वाहन—स्थान ट्रैकिंग उपकरणों का फीड/सिगनल उपलब्ध कराया जाना होगा।
- (दो) एनसीआर में पंजीकृत और सीमा पार चलने वाले आटो रिक्षा, मोटर कैब/टैक्सी और ठेका गाड़ी बसों की आसान पहचान के लिए एक कलर कोड एवं लोगो दिया जाना होगा।
- (तीन) अस्थायी/गैर अस्थायी/संस्थागत परमिट/लाइसेंस से युक्त ये सभी वाहनें समय—समय पर जारी मात्र सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं सीएमवीआर, 1989 के नियम 118 के प्रावधानों के अनुसार गति नियंत्रक उपकरणों के अधीन होंगी।
- (चार) मंजिली/ठेका गाड़ी और/या कॉरीडोर ट्राइट का परमिट/लाइसेंस प्राप्त करने वाला कोई ट्रैफिक, उनकी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्यवाही के अधीन होगा।
- (पांच) इस प्रकार वर्तमान में एनसीआर के अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस)/सीएनजी स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए सभी घटक राज्य और अन्य हितधारक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और इलेक्ट्रिक वाहनों/चार्जिंग स्टेशनों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए उठाये गये कदमों के अनुसार ईवीसीएस/ सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले एनसीआर जिलों से दिल्ली के लिए आने वाले सभी वाहनें करार पर हस्ताक्षर होने के 3 वर्ष के अन्दर, उपलब्धता के अधीन, केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक या ऐसे स्वच्छ ईधन का उपयोग करेंगे। अन्य एनसीआर जिले इस करार पर हस्ताक्षर करने के 7 वर्षों में इसे हासिल करने का प्रयास करेंगे। एन सी आर पी बी अपनी 2017 की प्रतिबद्धता के अनुसार एम ओ पी एन जी के माध्यम से सीएनजी स्टेशनों की सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- (छ:) एनसीआर के संघटक राज्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एवं समय—समय पर संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर्स गाइडलाइन्स, 2020 की मंशा से एनसीआर में मोटर यान एग्रीगेटर्स के लिए नियम बनाने और सामंजस्य स्थापित करने के त्वरित कदम उठायेंगे।

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बद्ध निम्नलिखित पक्षकारों ने इस करार पर ऊपर प्रथम लिखित दिनांक और वर्ष को हस्ताक्षर किया है:-

उत्तर प्रदेश सरकार और उनकी ओर से

राजेश कुमार सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
परिवहन विभाग,  
उत्तर प्रदेश सरकार

एनसीटी दिल्ली सरकार और उनकी ओर से

आशीष कुन्द्रा,  
प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग,  
एनसीटी दिल्ली सरकार दिल्ली

हरियाणा सरकार और उनकी ओर से

राजस्थान सरकार और उनकी ओर से

शत्रुजीत कपूर,  
प्रमुख सचिव,  
परिवहन विभाग,  
हरियाणा सरकार,

अभय कुमार,  
प्रमुख सचिव  
परिवहन विभाग,  
राजस्थान सरकार,  
जयपुर।

साक्षी

साक्षी

अर्चना अग्रवाल,  
सदस्य सचिव,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड,  
नगरीय विकास मंत्रालय,  
भारत सरकार।

रवि प्रकाश,  
निदेशक (संघ राज्य क्षेत्र)  
नगरीय विकास मंत्रालय,  
भारत सरकार।

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र

### अनुलग्नक—एक


केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्धित संघटक राज्यों की सरकारों की सहमति और बोर्ड की सहमति से सरकारी राजपत्र में अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घटक क्षेत्र निम्नलिखित हैः—

- (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (1,483 वर्ग किलोमीटर)। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 2.7% है।
- (ख) हरियाणा उप क्षेत्र जिसमें फरीदाबाद, गुडगाँव, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, मेवात, पानीपत, भिवानी, महेन्द्रगढ़, जिन्द और करनाल जिले (25,327 वर्ग किलोमीटर) हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 46% है।
- (ग) राजस्थान उप क्षेत्र जिसमें अलवर और भरतपुर जिले (13,447 वर्ग किलोमीटर) है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 24.3% है।
- (घ) उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र, जिसमें सात जिले अर्थात् मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जिले (13,578 वर्ग किलोमीटर) सम्मिलित हैं। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 27% है।

इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 55084 वर्ग किलोमीटर है, जैसा कि अनुलग्नक—दो में मानचित्र में इंगित किया गया है।

अनुलग्नक-दो

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का घटक क्षेत्र



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठेका गाड़ी के रूप में अन्तर्राज्यीय आवागमन हेतु आटो रिक्शा की संख्या

राज्य	से	तक	आटो रिक्शा की संख्या
दिल्ली—उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	5000
	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	5000
दिल्ली—हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	5000
	हरियाणा	दिल्ली	5000
उत्तर प्रदेश—हरियाणा	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	1000
	हरियाणा	उत्तर प्रदेश	1000
राजस्थान—हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	500
	हरियाणा	राजस्थान	500

❖ आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

## अनुलग्नक—चार

## पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के लागू होने की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

आर सी टी ए (ठेका गाड़ी) के अन्तर्गत राज्य में पंजीकृत वाहनों के प्रति जारी परमिट/लाइसेंस या स्वीकृत अनुमति

तक.....

पिछले छ: माह.....

राज्य का नाम	टैक्सी	बस	आटो	अभ्युक्ति
उत्तर प्रदेश				
दिल्ली				
राजस्थान				
हरियाणा				
पिछले छ: माह में कुल				
क्रमिक योग				

## अनुलग्नक—पांच

एनसीआर में पंजीकृत सभी प्रकार के सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रास्थिति हेतु प्रारूप

तक.....

पिछले छ: माह.....

राज्य का नाम	टैक्सी	बस	आटो	अन्य कोई	अन्युक्ति
उत्तर प्रदेश					
दिल्ली					
राजस्थान					
हरियाणा					
पिछले छः माह में कुल					
क्रमिक योग					

अनुलग्नक—क  
मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

**दिल्ली एवं राजस्थान  
राज्य परिवहन उपक्रम**

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	दिल्ली
1	अलवर—दिल्ली वाया नौगांव सोहना	38	25	26	28	650	1064	13	16
2	अलवर—दिल्ली वाया तिजारा	95	25	18	16	450	1520	9	8
3	तिजारा—दिल्ली वाया धारूहेड़ा	37	25	38	0	950	0	19	0
4	अलवर—दिल्ली वाया तिजारा सोहना—भिवाड़ी	94	25	12	0	300	0	6	0
5	अलवर—दिल्ली—मेरठ	38	48	4	0	192	0	4	0
		302	148	98	44	2542	2584	51	24

टिप्पणी: बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक—१

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या।

**दिल्ली एवं राजस्थान  
निजी मंजिली गाड़ी बसें**

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान	दिल्ली	राजस्थान द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	दिल्ली
1	दिल्ली—अलवर वाया	38	25	.	04	.	104	.	02

हरियाणा							
---------	--	--	--	--	--	--	--

टिप्पणी: बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

### अनुलग्नक –ख (ख–I)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

#### दिल्ली एवं हरियाणा निजी मंजिली गाड़ी बसें

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1	दिल्ली पानीपत वाया सोनीपत	72	28	.	52	3744	.	.	8
2	दिल्ली-सोनीपत	22	28	.	4	88	.	.	1
3	दिल्ली-खरखौदा वाया सांपला	36	37	.	6	144	.	.	2
4	दिल्ली-गुड़गांव	10	25	60	54	540	1500	10	8
5	महरौली- गुड़गांव	10	12	.	12	120	.	.	1
6	दिल्ली-रेवाड़ी वाया सोहना	85	25	.	22	1870	.	.	9
7	दिल्ली-पुमाना	100	25	.	4	400	.	.	1
8	दिल्ली-होड़ल	71	13	.	4	284	.	.	2
9	दिल्ली-पलवल	44	13	.	48	2112	.	.	12
10	दिल्ली- रोहतक	53	37	.	6	318	.	.	3
11	दिल्ली-बहादुरगढ़	3	37	.	33	99	.	.	6
12	महरौली-बहादुरगढ़	3	40	.	4	12	.	.	1
13	नरेला-बहादुरगढ़	3	23	.	18	54	.	.	2
14	दिल्ली-बादली	3	36	.	30	90	.	.	1
15	दिल्ली-अलवर वाया हरियाणा	110	25	.	4	440	.	.	2
	योग			60	301	10315	1500	10	59

टिप्पणी:- दोनों राज्यों द्वारा इससे पहले प्रदान किये गये वैध परमिट, जिन पर निजी आपरेटरों की बसें परिचालित की जा रही हैं, इस समझौते की तारीख को भावी परिचालन हेतु इस समझौते का भाग मानी जायेगी।

- क्रम सं० 1, 6 तथा 9 पर उल्लिखित रूटों के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, हरियाणा क्रमशः 2, 2 तथा 3 परमिट प्रतिहस्ताक्षरित करेगी क्योंकि राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा निजी आपरेटरों को रिजर्व परमिट प्रदान किए गए हैं।

- उक्त रूटों पर बसों का परिचालन मैसर्स एम्सी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से प्रारम्भ एवं समाप्त होगा।
- बसें निर्धारित बस टर्मिनल से शुरू एवं समाप्त होंगी।

### अनुलग्नक (ख-II)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

### दिल्ली एवं हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरिया॑	दिल्ली	हरिया॑	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरिया॑ द्वारा दिल्ली में	हरिया॑	दिल्ली
1	दिल्ली—अलवर वाया सोहना	111	.	.	30	3330	.	.	15
2	दिल्ली—अलवर वाया तिजारा	90	.	.	20	1800	.	.	10
3	केन्द्रीय (टर्मि.)—बादली	2	.	.	16	32	.	.	2
4	आनन्द विंहार—बहादुरगढ़	3	.	.	60	180	.	.	15
5	कर्मपुरा—बहादुरगढ़	3	.	.	226	678	.	.	28
6	नई दिल्ली रेलवे स्टे.— बहादुरगढ़	3	.	.	168	504	.	.	21
7	नरेला—बहादुरगढ़	3	.	.	120	360	.	.	15
8	अम्बेडकर स्टेडियम — बहादुरगढ़ वाया आईएसबीटी	3	.	.	80	240	.	.	20
9	नई दिल्ली रेलवे स्टे.— बल्लभगढ़	17	.	.	40	680	.	.	10
10	रिंग रोड—बल्लभगढ़	17	.	.	40	680	.	.	10
11	सफदरजंग (टर्मि.)— बल्लभगढ़	17	.	.	80	1360	.	.	10
12	दिल्ली—बड़ौत वाया	43	.	.	20	860	.	.	5
13	दिल्ली—दादरी	80	.	.	10	800	.	.	5
14	आनन्द विंहार—फरीदाबाद	17	.	.	60	1020	.	.	15
15	गाजियाबाद—फरीदाबाद	17	.	.	80	1360	.	.	20
16	रिंग रोड—फरीदाबाद	17	.	.	200	3400	.	.	50
17	सफदरजंग (टर्मि.)— फरीदाबाद	17	.	.	180	3060	.	.	23
18	शाहदरा—फरीदाबाद	17	.	.	60	1020	.	.	15
19	दिल्ली—फिरोजपुर झिरका	94	.	.	20	1860	.	.	10
20	अम्बेडकर (स्टेडियम)—	10	.	.	80	800	.	.	10

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	गुड़गांव								
21	दिल्ली / आनन्द विहार— गुड़गांव	10	.	.	60	600	.	.	15
22	बदरपुर एक्स,— गुड़गांव	10	.	.	264	2640	.	.	33
23	कश्मीरीगेट— गुड़गांव	10	.	.	80	800	.	.	20
24	नरेला— गुड़गांव	10	.	.	40	400	.	.	5
25	उत्तम नगर— गुड़गांव	10	.	.	40	400	.	.	10
26	आर०के०पुरम— गुड़गांव	10	.	.	200	2000	.	.	15
27	शाहबाद डेरी— गुड़गांव	10	.	.	80	800	.	.	20
28	दिल्ली—गुड़गांव वाया फरीदाबाद	44	.	.	80	3520	.	.	20
29	बहादुरगढ़— गुड़गांव	13	.	.	194	2522	.	.	48
30	दिल्ली—गुड़गांव वाया बहादुरगढ़ बजघेरा	10	.	.	50	500	.	.	13
31	आनन्द विहार— गुड़गांव	10	.	.	80	800	.	.	20
32	करोलबाग— गुड़गांव	10	.	.	356	3560	.	.	49
33	नोएडा— गुड़गांव	10	.	.	82	820	.	.	20
34	नांगलोई— गुड़गांव	10	.	.	60	600	.	.	8
35	सफदरजंग (टर्मि)— गुड़गांव	10	.	.	176	1760	.	.	22
36	सीमापुरी— गुड़गांव	10	.	.	52	520	.	.	13
37	सीमापुरी— गुड़गांव वाया बदरपुर	10	.	.	56	560	.	.	14
38	दिल्ली—होड़ल	70	.	.	20	1400	.	.	10
39	दिल्ली—झज्जर	34	.	.	10	340	.	.	5
40	दिल्ली—खरखौदा वाया बवाना	10	.	.	24	240	.	.	6
41	आनन्द विहार—कुण्डली	2	.	.	40	80	.	.	10
42	दिल्ली—नगीना वाया सोहना	80	.	.	8	640	.	.	4
43	एयरपोर्ट—दिल्ली—एन आईआईटी फरीदाबाद	27	.	.	20	540	.	.	5
44	दिल्ली—पानीपत वाया सोनीपत	75	.	.	40	3000	.	.	10
45	सीजीओ काम्पलैक्स— पालम विहार	9	.	.	16	144	.	.	2
46	दिल्ली—पलवल	41	.	.	72	2952	.	.	18
47	दिल्ली—पलवल वाया सोहना	73	.	.	20	1460	.	.	5
48	दिल्ली—पानीपत—गोहाना—	173	.	.	10	1730	.	.	10

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	रोहतक—दिल्ली								
49	दिल्ली—पटौदी	35	.	.	10	350	.	.	5
50	दिल्ली—पुन्हाना	70	.	.	10	700	.	.	5
51	करोलबाग—राजीव चौक	13	.	.	64	832	.	.	8
52	दिल्ली—रेवाड़ी	69	.	.	30	2070	.	.	15
53	दिल्ली—रोहतक—गोहाना—पानीपत—दिल्ली	173	.	.	10	1730	.	.	10
54	दिल्ली—रोहतक	48	.	.	40	1920	.	.	10
55	दिल्ली—रोहतक गोहाना—सोनीपत—दिल्ली	140	.	.	10	1400	.	.	10
56	दिल्ली—रोहतक—खरखौदा—सोनीपत—दिल्ली	125	.	.	10	1250	.	.	10
57	करोलबाग—सोहना	35	.	.	50	1750	.	.	13
58	दिल्ली—सोहना वाया पलवल	73	.	.	30	2190	.	.	8
59	दिल्ली—सोनीपत	23	.	.	50	1150	.	.	13
60	दिल्ली—सोनीपत—गोहाना—रोहतक—दिल्ली	140	.	.	10	1400	.	.	5
61	दिल्ली—सोनीपत—खरखौदा—रोहतक—दिल्ली	125	.	.	10	1250	.	.	10
	योग —				4154	77344			861

टिप्पणी:- उक्त परिचालन हरियाणा के अनुमत्त आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त पाइंट्स को छोड़कर

दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्ज एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

## अनुलग्नक (ख-III)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

### हरियाणा तथा दिल्ली राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1	गुड़गांव—बल्लभगढ़ वाया महरौली, बदरपुर	आया नगरा, खानपुर, बदरपुर	.	23	140	.	.	3220	28	.
2	एनआईटी—कश्मीरी गेट वाया बदरपुर, आश्रम, सराय काले खां	बदरपुर, कालका मोड़, आश्रम	.	25	60	.	.	1500	6	.
3	एनआईटी—ग्रेटर नोएडा वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	.	15	20	.	.	300	2	.
4	एनआईटी—बहादुर गढ़ वाया बदरपुर, महरौली, ईफको चौक	बदरपुर, खानपुर, आया नगर	.	50	52	.	.	2600	13	.
5	एनआईटी—सराय काले खां वाया बदरपुर, आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	.	13	56	.	.	728	7	.
6	बल्लभगढ़—सफदर जंग (ट) वाया बदरपुर, आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	.	17	42	.	.	714	7	.
7	बल्लभगढ़—सराय काले खां वाया बदरपुर आश्रम	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम	.	13	42	.	.	546	7	.
8	एनआईटी—एयर पोर्ट वाया बदरपुर, खानपुर, महरौली ईफको चौक	बदरपुर, खानपुर, आया नगर	.	31	12	.	.	372	2	.
9	बल्लभगढ़—नई	बदरपुर	.	25	40	.	.	1000	5	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	दिल्ली रेलवे स्टेशन, वाया बदरपुर आश्रम, दिल्ली गेट	कालका मोड़, आश्रम								
10	बल्लभगढ़—नार्थ कैम्पस वाया बदरपुर—सरायकाले खां कश्मीरीगेट	बदरपुर कालका मोड़, आश्रम		31	20			620	5	
11	एनआईटी—आनन्द विहार वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज, नोएडा	बदरपुर, सरिता विहार, गाजीपुर मोड़		25	50			1250	5	
12	एनआईटी—केन्द्रीय सचिवालय, वाया बदरपुर, आश्रम, मेडिकल, सफदरजंग एयरपोर्ट	बदरपुर, आश्रम मैडिकल		25	40			1000	5	
13	बल्लभगढ़—सफदरजंग (ट) वाया नेहरू प्लेस, आर०के०पुरम	बदरपुर, नेहरू प्लेस, आर०के०पुरम		25	60			1500	10	
14	फरीदाबाद—नजफगढ़ वाया बदरपुर, महरौली, कापसहड़ा	बदरपुर, महरौली, बिजवासन		48	60			2880	15	
15	एनआईटी—नोएडा वाया बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज		15	30			450	3	
16	एनआईटी—नेहरू प्लेस, वाया बदरपुर, कालका मोड़	बदरपुर, मदनपुर खादर, कालका मोड़		10	40			400	5	
17	एनआईटी—दिल्ली गेट वाया	बदरपुर कालका मोड़,		20	40			800	4	

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	बदरपुर, आश्रम, रिंग रोड	आश्रम								
18	एनआईटी—हौज खास वाया बदरपुर, खानपुर, आउटर रिंग रोड	बदरपुर, खानपुर, लाडो सराय	.	18	40	.	.	720	5	.
19	गुडगांव—आईएस बी टी कश्मीरीगेट, वाया धौला कुआं, रिंग रोड, फिल्मस्तान	महिपालपुर धौला कुआं, रिंग रोड	.	31	80	.	.	2480	8	.
20	ढांसा बार्डर—आई एस बीटी कश्मीरी गेट वाया नजफगढ़, नांगलो ई, पीरागढ़ीए मधुबन चौक	नजफगढ़, नांगलोई, पीरागढ़ी	.	36	30	.	.	1080	5	.
21	प्याऊ मनियारी कुडली—आईएस बीटी कश्मीरीगेट वाया जीटीके बाईपास आउटर रिंग रोड	सिंधु बार्डर, अलीपुर, जीटीके बाईपास	.	28	20	.	.	560	2	.
22	प्याऊ मनियारी कुडली—एयरपोर्ट — वाया नरेला, बहादुरगढ़ नजफगढ़	सिंधु बार्डर, नरेला, नजफगढ़	.	42	12	.	.	504	2	.
23	प्याऊ मनियारी कुडली—आनन्द विहार वाया वजीराबाद, भजनपुरा	सिंधु बॉर्डर, जीटीके बाईपास, वजीराबाद	.	45	40	.	.	1800	5	.
24	बहादुरगढ़—सफद र जंग (ट) वाया पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, रिंग रोड	नांगलोई, पीरागढ़ी, धौलाकुआ	.	42	40	.	.	1680	5	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
25	बहादुरगढ़—एयर पोर्ट वाया नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	.	26	12	.	.	312	2	.
26	बहादुरगढ़—आईए स बीटी कश्मीरीगेट वाया नांगलोई, पीरागढ़ी, मधुबन चौक, जीटीके बाईपास	नांगलोई, पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास	.	37	60	.	.	2220	6	.
27	बहादुरगढ़—गुडग व वाया नजफगढ़, बिजवासन	नजफगढ़, बिजवासन, समलखां क्रासिंग	.	26	156	.	.	4056	20	.
28	बहादुरगढ़—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया पीरागढ़ी, पंजाबी बाग, सराय रोहिल्ला पहाड़गंज	पीरागढ़ी, पंजाबीबाग, करोलबाग	.	30	50	.	.	1500	5	.
29	बहादुरगढ़—आनन्द विहार वाया पीरागढ़ी, मधुबन चौक, वजीराबाद ब्रिज, भजनपुरा	पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास, वजीराबाद ब्रिज	.	57	20	.	.	1140	5	.
30	बहादुरगढ़—नोएडा वाया पीरागढ़ी, मधुबन चौक, आउटर रिंग रोड, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, राजघाट, निजामुद्दीन ब्रिज	पीरागढ़ी, जीटीके बाईपास, कश्मीरीगेट	.	52	20	.	.	1040	5	.
31	गुडगांव—करोल	महिपालपुर,	.	23	20	.	.	460	2	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	बाग वाया धौला कुआं	पालम मोड़, धौलाकुआं								
32	गुड़गांव—केन्द्रीय सचिवालय वाया धौलाकुआं, 11 मूर्ति, राम मनोहर लोहिया अस्पताल	धौलाकुआं, 11 मूर्ति, राम मनोहर लोहिया अस्पताल		25	24			600	4	
33	गुड़गांव—ग्रेटर नोएडा वाया धौला कुआं, मेडिकल, आश्रम, सरिता विहार कालिन्दी कुंज	मेडिकल आश्रम, सरिता विहार		30	10			300	2	
34	गुड़गांव—आईएस बीटी, कश्मीरी गेट वाया एयरपोर्ट, धौला कुआं, रिज रोड, फिल्मस्तान	समलखा क्रासिंग, एयरपोर्ट, धौलाकुआं		36	20			720	2	
35	गुड़गांव—बहादुर गढ़ वाया बजघेडा	छावला, नजफगढ़, झारौदा गांव		20	100			2000	10	
36	गुड़गांव—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया धौला कुआं, रिज रोड, पहाड़गंज	धौला कुआं, रिज रोड, पहाड़गंज		31	54			1674	9	
37	गुड़गांव—सराय कालेखां, वाया धौलाकुआं आश्रम	महिपालपुर, धौला कुआं, मेडिकल		25	46			1150	5	
38	गुड़गांव—जेएलएन स्टेडिओ वाया महरौली, सफदर जंग, सीजीओ काम्पलैक्स	महरौली, सफदरजंग सीजीओ काम्पलैक्स		25	36			900	3	
39	गुड़गांव—केंद्रीय सचिवालय वाया धौला कुआं, तीन	धौला कुआं, तीन मूर्ति कृषि भवन		25	14			350	2	

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	मूर्ति, कृषि भवन									
40	गुडगांव—मंगलापुरी वाया डुड़ाहेड़ा, बिजवासन, नजफगढ़	समलखां क्रासिंग, बिजवासन, नजफगढ़	.	20	50	.	.	1000	5	.
41	राजीव चौक गुडगांव—नेहरू प्लैस वाया महरौली, खानपुर	महरौली, खानपुर, कालका जी	.	31	50	.	.	1550	5	.
42	गुडगांव—स०ज० (टर्मि०) वाया महरौली, खानपुर	महरौली, खानपुर, चिराग दिल्ली	.	20	42	.	.	840	5	.
43	गुडगांव—क० सचिवालय वाया महरौली, खानपुर, मेडिकल, स०ज० एयरपोर्ट	महरौली, खानपुर, कालकाजी	.	31	50	.	.	1550	5	.
44	गुडगांव—आनन्द विहार वाया धौला कुआं, मेडिकल, सराय काले खां, निजामुद्दीन ब्रिज	धौलाकुआं, मेडिकल, सराय काले खां, निजामुद्दीन ब्रिज	.	39	10	.	.	390	2	.
45	गुडगांव—स०ज० (ट०) वाया धौला कुआं, मेडिकल	महिपालपुर, धौला कुआं, मेडिकल	.	20	10	.	.	200	1	.
46	गुडगांव—नोएडा वाया कुतुब, खानपुर, बदरपुर, सरिता विहार, कालिन्दी कुंज	कुतुब, खानपुर, बदरपुर	.	30	40	.	.	1200	4	.
47	पानीपत—दिल्ली	.	.	28	80	.	.	2240	20	.
48	पानीपत—अलवर वाया दिल्ली	.	.	65	2	.	.	130	1	.
49	होड़ल—सराय कालेखां	.	.	13	18	.	.	234	6	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
50	पलवल—सराय कालेखां	.	.	13	66	.	.	858	17	.
51	पलवल—सोनीपत	.	.	53	10	.	.	530	5	.
52	सोनीपत—दिल्ली	.	.	28	194	.	.	5432	57	.
53	अलवर—सराय कालेखां	.	.	25	30	.	.	750	15	.
54	सोहना—सराय कालेखां	.	.	25	44	.	.	1100	11	.
55	खरखोदा—दिल्ली वाया बवाना	.	.	36	110	.	.	3960	27	.
56	जखोली—दिल्ली	.	.	28	28	.	.	784	4	.
57	रेवाड़ी—सराय कालेखां	.	.	25	70	.	.	1750	20	.
58	बावल—सराय कालेखां	.	.	25	6	.	.	150	2	.
59	गुरावर—सराय कालेखां	.	.	25	2	.	.	50	1	.
60	रेवाड़ी—सराय कालेखां वाया सोहना	.	.	25	28	.	.	700	7	.
61	रोहतक—दिल्ली	.	.	37	54	.	.	1998	15	.
62	रोहतक—गुडगांव वाया बहादुरगढ़	.	.	26	80	.	.	2080	20	.
63	पालंगी—दिल्ली	.	.	37	2	.	.	74	1	.
64	रोहतक—दिल्ली वाया सोनीपत	.	.	28	12	.	.	336	6	.
65	गिरावर—गुडगांव वाया दिल्ली	.	.	74	4	.	.	296	2	.
66	फरमाना—दिल्ली	.	.	36	2	.	.	72	1	.
67	किलौली—दिल्ली	.	.	37	4	.	.	148	2	.
68	रोहतक—फरीदा बाद वाया कश्मीरी गेट	.	.	62	20	.	.	1240	10	.
69	गोहाना—दिल्ली वाया सोनीपत	.	.	28	92	.	.	2576	23	.
70	सोनीपत—गुडगांव वाया बहादुरगढ़	.	.	26	4	.	.	104	1	.
71	गोहाना—दिल्ली	.	.	36	30	.	.	1080	8	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
	वाया खरखौदा									
72	झज्जर—दिल्ली			37	50			1850	13	
73	खेड़ी आशा—गुड़गांव वाया नजफगढ़			26	2			52	1	
74	कोठकासिम—सराय कालेखां			25	4			100	2	
75	अलवर—सराय कालेखां वाया तिजारा			25	8			200	4	
76	मटेहल—दिल्ली			37	2			74	1	
77	बेरी—दिल्ली			37	14			518	4	
78	गुड़गांव—रोहतक वाया बदानी			26	2			52	1	
79	फिरोजपुर झिरका—सराय कालेखां			25	14			350	7	
80	पुन्हाना—सराय कालेखां			25	20			500	5	
81	नूह—सराय कालेखां			25	14			350	7	
82	तिजारा—सराय कालेखां			25	16			400	8	
			2466	3098			86974	621		

टिप्पणी:-उक्त परिचालन हरियाणा के अनुमत्त आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त पाइंट्स को छोड़कर

दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्ज एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

प्रस्तावित 61 नये मार्ग

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	हरियाणा	दिल्ली
1	भिवाड़ी—दिल्ली—गुरुग्राम		62	02			124	01		
2	भिवाड़ी—दिल्ली—पलवल		62	04			248	02		
3	भिवानी—दिल्ली—फरीदाबाद		62	04			248	02		
4	भिवानी —दिल्ली वाया रोहतक		37	24			888	12		
5	शिवानी —दिल्ली वाया भिवानी		37	02			74	01		
6	भिवानी — दिल्ली वाया बहादुरगढ़		37	04			148	02		
7	भिवानी —होड़ल वाया दिल्ली		62	02			124	01		
8	एनआईटी—नेहरू प्लेस वाया बहादुरपुर कालका मोड़		10	08			80	02		
9	पुन्हाना—दिल्ली वाया सोहना		25	02			50	01		
10	पलवल—दिल्ली वाया बल्लभगढ़		13	04			52	02		
11	बल्लभगढ़—सफदर जंग		18	08			144	04		
12	फरीदाबाद—सफदर जंग		18	08			144	04		
13	बल्लभगढ़—सरायेका ले खां		13	06			78	03		
14	फरीदाबाद—दिल्ली		..	13	04	..	..	52	2	
15	पानीपत वाया सोनीपत—दिल्ली		28	04			112	02		
16	फरीदाबाद—		22	04			88	02		

क्रम सं	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	दिल्ली में	हरियाणा द्वारा दिल्ली में	दिल्ली
	भिवानी वाया गुरुग्राम									
17	फरीदाबाद—जी०द वाया दिल्ली			22 02			44	01		
18	गुरुग्राम—आनन्दविहार			41 08			164	04		
19	गुरुग्राम—सरायेकाले खां		..	31 08	..	..	124	04		
20	गुरुग्राम—बहादुरगढ़ वाया बजरघेड़ा			20 06			80	08		
21	पलवल—होडल—दिल्ली			20 10			200	05		
22	पलवल—दिल्ली वाया फरीदाबाद		..	20 10	..	..	200	05		
23	होडल—सरायेकाले खां			20 12			240	06		
24	पलवल—सरायेकाले खां			20 10			200	05		
25	पुन्हाना—सरायेकाले खां			20 04			80	02		
26	बहूझोलरी—दिल्ली वाया झज्जर		..	37 06	..	..	222	03		
27	बेरी—दिल्ली वाया सम्पला			37 02			74	01		
28	झज्जर—बादली—दिल्ली			56 14			784	07		
29	च० दादरी—दिल्ली वाया झज्जर		..	37 24	..	..	888	12		
30	करनाल—गुरुग्राम वाया दिल्ली		..	59 02	..	..	118	1		
31	नूह—सरायेकाले खां			31 06			186	03		
32	नरनौल—सरायेकाले खां		..	25 20	..	..	500	10		
33	रोहतक—दिल्ली			37 32			1184	08		

क्रम सं	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	दिल्ली में द्वारा हरियाणा	हरियाणा	दिल्ली
34	भिवानी—दिल्ली वाया बहादुरगढ़			37	16			592	04	
35	जीद—दिल्ली वाया रोहतक			37	04			148	02	
36	किलोई—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
37	पोलांगी—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
38	रोहतक—गुरुग्राम वाया बहादुरगढ़			18	16			288	04	
39	रोहतक—गुरुग्राम वाया दिल्ली			18	20			360	05	
40	रेवाड़ी—सरायेकाले खां			25	20			500	05	
41	रेवाड़ी—बैजनाथ वाया दिल्ली			59	02			118	02	
42	कोशली—सरायेकाले खां			25	06			150	03	
43	नरनौल—सरायेकाले खां			25	10			250	05	
44	रिठाला—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
45	रुड़की—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
46	गोरड़—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
47	कटवाल—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
48	मोहीहुड़ा—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
49	गोहना—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
50	मतिंदू—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
51	जसराणा—दिल्ली			36	02			72	01	

क्रम सं	मार्ग	दिल्ली में उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं	
			हरियाणा	दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली	दिल्ली द्वारा हरियाणा में	द्वारा में दिल्ली	हरियाणा	दिल्ली
	वाया खरखोदा									
52	रिधऊ—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
53	गोरड़—बखेटा—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
54	गोरड़—सिलाना—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
55	थाना—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
56	बिधलन—सिलाना—दिल्ली वाया खरखोदा			36	02			72	01	
57	सेहरी—वाया खरखोदा—दिल्ली			36	02			72	01	
58	सोनीपत—नरनौल वाया दिल्ली			59	04			236	02	
59	सोनीपत—फरीदाबाद वाया दिल्ली			53	02			106	01	
60	सोनीपत—होड़ल वाया दिल्ली			53	02			106	01	
61	सोनीपत—नरेला			02	20			40	02	
				2039	420			11988	180	

**टिप्पणी:**—उक्त परिचालन हरियाणा के अनुमत्त आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त पाइंट्स को छोड़कर दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्ज एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

## अनुलग्नक—(ग—I)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

**दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश  
निजी मंजिली गाड़ी बसें**

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०	परमिटों की सं०	
		उत्तर प्रदेश	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	दिल्ली		उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में
1	गाजियाबाद—दिल्ली	15.0	19	44	88	836	1320	11 10
2	गढ़—दिल्ली	66.0	19	152	54	2888	3564	38 20
3	मुरादनगर—असालतपुर—दिल्ली	33.7	11	16	14	176	232	04 04
	कुल	114.7	49	212	156	3900	5116	53 34

**टिप्पणी:**— दोनों राज्यों द्वारा पूर्व में जारी वैध परमिट जिन पर निजी संचालकों की बसें वर्तमान में संचालित हैं, आगामी संचालन के लिए इस समझौते के अंग माने जायेंगे।

— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

## अनुलग्नक (ग-II)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

**दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश  
राज्य परिवहन उपक्रम**

क्रम सं०	मार्ग	उ०प्र० में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०	परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली		उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में
1	मेडिकल (दिल्ली)—विवेकानन्द नगर (गाजियाबाद)	मोहन नगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड न्यू/पुराना	19	.	.	80	.	1520	.
2	शिवाजी स्टेडियम (दिल्ली)— एएल टीसी गाजियाबाद	मोहन नगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड	17	.	.	160	.	2720	.

क्रम सं०	मार्ग	उ०प्र० में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
		न्यू/पुराना								
3	दिल्ली गुडगांव वाया नोएडा	इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर-19, खोड़ा, कॉलोनी	25	.	.	86	.	2150	.	23
4	भजनपुरा (दिल्ली) –गाजियाबाद	पसौंडा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	.	.	320	.	4480	.	27
5	मोरी गेट (दिल्ली) –गाजियाबाद	पसौंडा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	.	.	80	.	1120	.	10
6	दिल्ली–गाजियाबाद –फरीदाबाद	पसौंडा, एयरपोर्ट कॉलोनी, मोहन नगर	14	.	.	100	.	1400	.	25
7	शिवाजी स्टेडि० (दिल्ली)–इन्दिरापुरम	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर, वैशाली	6	.	.	24	.	144	.	3
8	आर०के०पुरम (दिल्ली)–ग्रेटर नोएडा	अटटा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	.	.	40	.	1480	.	10
9	कटवरियासरायं (दिल्ली)–इन्दिरापुरम	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर, वैशाली	7	.	.	4	.	28	.	1
10	कश्मीरीगेट (दिल्ली)–ग्रेटर नोएडा	अटटा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	.	.	32	.	1184	.	8
11	नई दिल्ली/पुराना रेलवे स्टें० (दिल्ली) –ग्रेटर नोएडा	अटटा चौक, बाघेल, खुलेसरा गांव	37	.	.	40	.	1480	.	10
12	शिवाजी स्टेडि० (दिल्ली)– परिवहन अपार्टमेन्ट	महाराजपुर बॉर्डर, डाबर कौशाम्बी	6	.	.	40	.	240	.	5
13	शिवाजी स्टेडि० (दिल्ली)–विजय नगर	खोड़ा, मकनपुर, विजयनगर	10	.	.	32	.	320	.	4

क्रम सं०	मार्ग	उ०प्र० में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
		क्रासिंग								
14	शाहदरा—फरीदाबाद वाया नोएडा	अट्टा चौक, सै०—३७, इंटर नेशनल स्कूल	15	.	.	42	.	630	.	11
15	ओखला इडि० एस्टेट—लोनी / रामे श्वर पार्क	लोनी बॉर्डर	2	.	.	16	.	32	.	2
16	दिल्ली—अनूपशहर	बुलन्दशहर, शिवाली, जगीराबाद	116	.	.	12	.	1392	.	6
17	दिल्ली—अहार	बुलन्दशहर, शिवाली, जगीराबाद	112	.	.	4	.	448	.	2
18	दिल्ली—बड़ौत	लोनी, खेखड़ा बागपत	44	.	.	10	.	440	.	3
19	दिल्ली—बड़ौत वाया सोनीपत	गौरीपुर, सरुरपुर	16	.	.	20	.	320	.	5
20	दिल्ली—बुलन्दशहर वाया सिकन्दराबाद	लालकुआं, दादरी, सिकन्दराबाद	69	.	.	60	.	4140	.	15
21	दिल्ली—गढ़, ब्रिज घाट	गाजियाबाद बस स्टैण्ड, हापुड़, बाबूगढ़	82	.	.	30	.	2460	.	15
22	दिल्ली—हापुड़	मोहननगर, गाजियाबाद बस स्टैण्ड, पिलखुआ	47	.	.	42	.	1974	.	12
23	दिल्ली—हस्तिनापुर	मोहन नगर, मोदी नगर, मेरठ	95	.	.	8	.	760	.	4
24	दिल्ली—खुर्जा	लालकुआं, सिकन्दराबाद बुलन्दशहर	88	.	.	30	.	2640	.	8
25	दिल्ली—मेरठ	मोहननगर, मुरादनगर, मोदीनगद	56	.	.	150	.	8400	.	38
26	दिल्ली—एनटीपीसी (गाजियाबाद)	मोहन नगर, गाजिं० बस	39	.	.	6	.	234	.	2

क्रम सं०	मार्ग	उ०प्र० में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
		स्टैण्ड, मुरसरी								
27	दिल्ली—नगली साहिब	मोहननगर, मोटी नगर, मेरठ	90			4		360		2
28	दिल्ली—नरौरा	बुलन्दशहर, शिकारपुर, देबई	139			8		1112		4
29	दिल्ली—परीक्षितगढ़	मोहननगर, मोटी नगर, मेरठ	83			4		332		2
30	दिल्ली—रामधाट	बुलन्दशहर, शिकारपुर, देबई	136			6		816		3
31	दिल्ली—रटोल	लोनी, बघौत, चिरोरी	19			8		152		2
					1498		44908		302	

टिप्पणी:- उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो, स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड 2(सात) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।  
 – बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

### अनुलग्नक (ग-III)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

### उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
1	अमी नगर सराय—दिल्ली	—		12	10		120		5	
2	अहार—दिल्ली	—		3	6		18		3	
3	अनूपशहर—दिल्ली	—		3	6		18		3	

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में उ०प्र०	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
4	अनूपशहर—दिल्ली एयरपोर्ट वाया एनएच—24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	.	40	18	.	720	.	9	.
5	बागपत—दिल्ली	—	.	12	26	.	312	.	8	.
6	बड़ौत—दिल्ली	—	.	12	26	.	312	.	8	.
7	बड़ौत—दिल्ली एयर पोर्ट वाया कश्मीरी गेट, सराय काले खां, नेहरूनगर, श्रीनिवासपुरी, डिपो, कालकाजी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, आईआईटी गेट, मुनिरका, बसंत विहार, महिपालपुर क्रासिंग, रंगपुरी	नेहरू प्लेस, महिपालपुर क्रासिंग	.	40	8	.	320	.	4	.
8	बड़ौत—दिल्ली एयरपोर्ट वाया कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, रिंग रोड, मेडिकल, महरौली, कुतुब, अंधेरिया मोड, किशनगढ बास, महिपालपुर, रंगपुरी	सराय कालेखां, महरौली	.	48	8	.	384	.	4	.
9	बड़ौत—दिल्ली केन्द्रीय सचिवालय वाया कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्ली गेट, विवेकानन्द मार्ग, रीगल	दिल्ली गेट, रीगल	.	26	8	.	208	.	4	.
10	बड़ौत—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया कश्मीरीगेट, राजघाट, दिल्ली	कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट	.	20	8	.	160	.	4	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	गेट									
11	बड़ौत—नोएडा वाया दिल्ली; लोनी रोड क्रासिंग, नंद नगरी, आनन्द ग्राम, सीमापुरी, सूर्य नगर, आनन्द बिहार, आईएसबीटी एनएच-24, कल्याणपुरी, दल्लपुरा	एल आर क्रासिंग आनन्द विहार	.	22	8	.	176	.	4	.
12	बड़ौत—फरीदाबाद वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, आश्रम, बदरपुर बार्डर	सराय कालेखां, बदरपुर	.	37	8	.	296	.	4	.
13	बड़ौत—गुडगांव वाया दिल्ली; कश्मीरी गेट, बर्फखाना, फैज रोड, रिज रोड, धौला कुआं	रिज रोड, धौला कुआं	.	49	8	.	392	.	4	.
14	बड़ौत—दिल्ली वाया बहलगढ़ नरेला, सिधु बॉर्डर, अलीपुर जीटीके बाईपास, आउटर रिंग रोड	सिंध बॉर्डर, जीटीके बाईपास	.	37	12	.	444	.	6	.
15	बड़ौत—पलवल वाया दिल्ली; कश्मीरी गेट, सराय कालेखां, आश्रम, बदरपुर बॉर्डर	सराय कालेखां, बदरपुर	.	37	12	.	444	.	6	.
16	बड़ौतअलवर वाया दिल्ली; कश्मीरीगेट सराय कालेखां, आश्रम, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौलकुआं	.	49	6	.	294	.	3	.
17	बिनौली—अलवर वाया दिल्ली;	सराय कालेखां,	.	48	4	.	192	.	2	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	कश्मीरीगेट, सराय कालेखां, आश्रम, धौला कुआं	धौलकुआं								
18	बुलन्दशहर—गुडगांव वाया दिल्ली; एनएच—24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौलकुआं	.	45	4	.	180	.	2	.
19	बुलन्दशहर—दिल्ली	—	.	3	90	.	270	.	45	.
20	चांदी नगर—दिल्ली	—	.	12	10	.	120	.	5	.
21	छपरौली—दिल्ली	—	.	12	30	.	360	.	10	.
22	छपरौली—नईदिल्ली रेलवे स्टें वाया कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्लीगेट	—	.	20	8	.	160	.	4	.
23	छपरौली—दिल्ली	—	.	12	10	.	120	.	5	.
24	फलौदा—दिल्ली	—	.	11	4	.	44	.	2	.
25	गढ—दिल्ली	—	.	1	16	.	16	.	8	.
26	गाजियाबाद—शिवाजी स्टें वाया महाराजपुर बॉर्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर, यूआर आईटीओ	.	14	18	.	252	.	3	.
27	गाजियाबाद एयर पोर्ट वाया आनन्द विहार, महाराजपुर बॉर्डर, एनएच—24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलाकुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	.	40	36	.	1440	.	18	.
28	हापुड—दिल्ली	—	.	1	54	.	54	.	9	.
29	हापुड—शिवाजी स्टें वाया महाराजपुर बॉर्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग,	शकरपुर, यूआर आईटीओ	.	14	18	.	252	.	9	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	आईपी मार्ग, मंडी हाउस									
30	हापुड़—फरीदाबाद वाया दिल्ली; महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौलाकुआं	सराय कालेखां, बदरपुर	.	25	18	.	450	.	9	.
31	हस्तिनापुर—दिल्ली	—	.	11	8	.	88	.	4	.
32	जेवर—दिल्ली	—	.	3	3	.	9	.	1	.
33	कैराना—दिल्ली	—	.	1	12	.	12	.	6	.
34	कैराना—दिल्ली	—	.	12	8	.	96	.	4	.
35	कांधला—दिल्ली	—	.	12	20	.	240	.	10	.
36	कर्णवस—दिल्ली	—	.	3	2	.	6	.	1	.
37	खतौली—दिल्ली	—	.	11	10	.	110	.	5	.
38	खेकड़ा—दिल्ली	—	.	12	8	.	96	.	2	.
39	खुर्जा—बल्लभगढ़ वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां आश्रम	सराय कालेखां बदरपुर	.	28	4	.	112	.	2	.
40	खुर्जा—दिल्ली	—	.	3	54	.	162	.	27	.
41	कोताना—दिल्ली	—	.	12	20	.	240	.	10	.
42	कोताना—केन्द्रीय सचिवालय वाया सीजीओ, कश्मीरी गेट, राजघाट, दिल्ली गेट	दिल्ली गेट, रीगल	.	26	4	.	104	.	2	.
43	मेरठ—अलवर वाया दिल्ली; महाराजपुर बॉर्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	.	48	2	.	96	.	2	.
44	मेरठ—दिल्ली	—	.	11	158	.	1738	.	79	.
45	मेरठ—फरीदाबाद	सराय	.	36	4	.	144	.	2	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, धौला कुआं	कालेखां, बदरपुर								
46	मेरठ-गुडगांव वाया दिल्ली; एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	48	4	.	192	.	2	.	.
47	मेरठ-दिल्ली वाया केन्द्रीय सचिवालय, महाराजपुर बार्डर, आईपी मार्ग रीगल महाराजपुर बार्डर के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस, रीगल	शकरपुर आईटीओ	.	25	24	.	600	.	12	.
48	मेरठ-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाया महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर आईटीओ	.	19	24	.	456	.	12	.
49	मेरठ-नेहरू प्लेस वाया एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, देव कालेज, एसएनपीडी कालका मंदिर	सराय कालेखां, कालकाजी मंदिर	.	29	24	.	696	.	12	.
50	मेरठ-रेवाड़ी वाया दिल्ली; महाराजपुर बार्डर, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	.	48	2	.	96	.	2	.
51	मेरठ-एयरपोर्ट	सराय	.	59	24	.	1416	.	12	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	वाया महरौली, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	कालेखां, धौला कुआं								
52	मोदीनगर-दिल्ली वाया शाहदरा बार्डर	—	.	11	10	.	110	.	2	.
53	नरौरा-नई दिल्ली रेलवे स्टें आनन्द विहार, महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, मंडी हाउस	शकरपुर आईटीओ	.	18	8	.	144	.	4	.
54	नरौरा -दिल्ली वाया शाहदरा	—	.	17	8	.	136	.	4	.
55	नरौरा -केन्द्रीय सचिवालय वाया सीजीओ, महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	शकरपुर आईटीओ	.	27	8	.	216	.	4	.
56	नरौरा -नई दिल्ली रेलवे स्टें वाया आनन्द विहार, महाराजपुर बार्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	शकरपुर आईटीओ	.	18	8	.	144	.	4	.
57	नरौरा -एयरपोर्ट	सराय कालेखां,	.	43	4	.	172	.	2	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	वाया नेहरू प्लैस, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	धौला कुआं								
58	नरौरा -एयरपोर्ट वाया महरौली, एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं	51	4			204		2	
59	एनटीपीसी.शिवाजी स्टेडिओ वाया महाराजपुर बॉर्डर, के०के० क्रासिंग, विकास मार्ग, आईपी मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग	—		14	28		392		1	
60	एनटीपीसी-एयर पोर्ट वाया एनएच-24, निजामुद्दीन ब्रिज, सराय कालेखां, रिंग रोड, धौला कुआं	सराय कालेखां, धौला कुआं		40	14		560		4	
61	परीक्षितगढ़-दिल्ली	—		11	4		44		2	
62	पाटला-दिल्ली	—		11	4		44		1	
63	राजघाट-दिल्ली	—		3	2		6		2	
64	रटोल-दिल्ली	—		12	20		240		5	
65	सरधना-दिल्ली	—		11	4		44		2	
66	शुक्रताल-दिल्ली	—		11	2		22		1	
67	सिकन्दराबाद-दिल्ली	—		3	28		84		7	
68	सियाना-दिल्ली	—		1	4		4		2	
69	टाण्डा-दिल्ली	—		12	8		96		4	
70	टान्डा-दिल्ली	—		12	22		284		11	
	योग-				1107		18183		483	

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
71	नोएडा—एयरपोर्ट वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं	मेडिकल, धौला कुओं	.	27	14	.	378	.	4	.
72	कासना—एयरपोर्ट वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, रिंग रोड, धौला कुआं	मेडिकल, धौला कुओं	.	27	10	.	270	.	4	.
73	नोएडा—एयरपोर्ट वाया कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, बसंत विहार, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	.	26	6	.	156	.	2	.
74	कासना—एयरपोर्ट वाया कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, बसंत विहार, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	.	26	4	.	104	.	2	.
75	नोएडा—एयरपोर्ट वाया महरौली, कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालकाजी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, अधचीनी गांव, अंधेरिया मोड़, बसंत कुंज, एयरपोर्ट	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	.	34	6	.	204	.	2	.
76	कासना—एयरपोर्ट वाया महरौली, कालिन्दी कुंज, कालका मोड़ कालका जी मंदिर, नेहरू प्लेस, चिराग दिल्ली, अधचीनी	नेहरू प्लेस, अंधेरिया मोड़	.	34	6	.	204	.	2	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	गांव, अंधेरिया मोड़, बसंत कुंज, एयरपोर्ट									
77	कासना—केन्द्रीय सचिवालय वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, संतनगर, सीजीओ, खान मार्केट, शाहजहां रोड, अकबर रोड, शास्त्री भवन	आश्रम, सीजीओ, काम्प्लैक्स	.	28	10	.	280	.	4	.
78	नोएडा— केन्द्रीय सचिवालय वाया डीएनडी ब्रिज, आश्रम, संतनगर, सीजीओ, खान मार्केट, शाहजहां रोड, अकबर रोड, शास्त्री भवन	आश्रम, सीजीओ, काम्प्लैक्स	.	2	12	.	28	.	2	.
79	कासना—नईदिल्ली रेलवे स्टें वाया एस० स्टें, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, भगवानदास रोड, मंडी हाउस, स्टेट्समैन, मिंटो रोड, एनडीआरएस गेट नं० 2	प्रगति मैदान, प्लाजा मैरीना	.	18	12	.	216	.	12	.
80	नोएडा—नई दिल्ली रेलवे स्टें वाया एस०स्टें, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन, प्रगति मैदान, भगवानदास रोड, मंडी हाउस, स्टेट्समैन, मिंटो	प्रगति मैदान, प्लाजा मैरीना	.	18	10	.	180	.	10	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	रोड, एनडीआरएस गेट नं० 2									
81	नोएडा—कश्मीरीगेट वाय शाहदरा, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, मदर डेरी, शकर पुर, विकास मार्ग, स्वर्ण सिनेमा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, श्यामगिरी मंदिर	शकरपुर सीलमपुर	.	26	16	.	416	.	12	
82	कासना—कश्मीरी गेट वाया शाहदरा, समाचार अपार्टमेन्ट नोएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन ब्रिज, रिंग रोड, शांतिवन, यमुना बाजार	प्रगति मैदान क्रासिंग, राजघाट	.	26	10	.	260	.	10	.
83	कासना—कश्मीरी गेट वाया दल्लूपुरा, कांडली क्रासिंग, गाजीपुर मोड, आनन्द विहार, शाहदरा बॉर्डर, सीमापुरी, आनन्द ग्राम, नंद नगरी, ज्योति कॉलोनी, बाबरपुर क्रासिंग, भजनपुरा	आनन्द विहार, भजनपुरा	.	24	8	.	192	.	8	.
84	नोएडा—कश्मीरीगेट वाया दल्लूपुरा, कांडली क्रासिंग, गाजीपुर मोड, आनन्द विहार, शाहदरा बार्डर, सीमापुरी, आनन्द ग्राम, नंदनगरी, ज्योति कॉलोनी,	आनन्द विहार, भजनपुरा	.	27	4	.	96	.	4	.

क्रम सं०	मार्ग	दिल्ली में सवारी उतारने का स्थान	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
			उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र०	दिल्ली	उ०प्र० द्वारा दिल्ली में	दिल्ली द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र०	दिल्ली
	बाबरपुर क्रासिंग, भजनपुरा									
85	कासना—फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	.	10	6	.	60	.	2	.
86	नोएडा— फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	.	10	8	.	80	.	2	.
87	दादरी— फरीदाबाद वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर	सरिता विहार, बदरपुर	.	10	2	.	20	.	2	.
88	नोएडा—गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	.	27	4	.	108	.	2	.
89	कासना— गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	.	27	8	.	216	.	4	.
90	दादरी— गुडगांव वाया इंटरनेशनल स्कूल, सरिता विहार, बदरपुर, खानपुर, कुतुब सिकन्दरपुर बॉर्डर	सरिता विहार, बदरपुर	.	27	2	.	54	.	2	.
					158		3522		92	
					1265		21705		575	

टिप्पणी:- उक्त परिचालन उत्तर प्रदेश के अनुमत आईएसबीटी के अलावा अतिरिक्त प्लाइंट्स को छोड़कर दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे से शुरू एवं समाप्त होगा। यह परिचालन मैसर्ज एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 20-11-97 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-12-97 को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

- उत्तर प्रदेश राज्य व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यातायात की मांग पर निर्भर रहते हुए जब कभी स्थिति उत्पन्न हो, स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और करार के खण्ड 2(सात) के अनुसार पारस्परिक करार पर आवश्यक विनिश्चय कर सकते हैं।
- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक –घ (घ-I)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत इनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

हरियाणा एवं राजस्थान,  
राजस्थान के निजी आपरेटर तथा राज्य परिवहन अंडरटेकिंग हरियाणा

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
1	गुगलकोटा–रेवाड़ी वाया बरदोद	2	21	48	0	1008	0	12	0
2	गुगलकोटा–रेवाड़ी वाया बावल	2	24	40	0	960	0	10	0
3	मंधन–रेवाड़ी वाया कुंड	3	24	56	0	1344	0	14	0
4	तिजारा–फिरोजपुर झिरका–नीमली–पैडासली–दहीका	16	8	36	0	288	0	9	0
5	तिजारा–रेवाड़ी वाया छांवड़ी–भौंकर	30	35	16	0	560	0	8	0
6	तिजारा–सोहना वाया छांवड़ी–भौंकर	31	24	8	0	192	0	4	0
7	तिजारा–सोहना वाया बुढ़ी बवाल–भिवाड़ी–तौरू–सोहना–गुड़गांव	31	57	12	0	684	0	12	0
8	तिजारा–रेवाड़ी वाया माजरा–मंधाना–कोटकासिम	37	14	14	0	196	0	7	0
9	तापुकड़ा–नूह वाया कोहरी–ग्वालदा	11	12	8	0	96	0	4	0
10	शाहजहांपुर–रेवाड़ी वाया बावल–तलावा	29	29	8	0	232	0	4	0
11	बदोद–रेवाड़ी वाया जाट भोर–सनोली–भोजपुरा	31	21	16	0	336	0	8	0
12	अलवर–फिरोजपुर जिरका वाया बलह–तेहगाड़ा–नाइका–पिपरोली–मैसडोली–बिजवा–नौगांव	56	14	12	.	168	0	6	0
13	सारेगांव–धारूहेड़ा वाया खेड़ी–भोगीपुरा–तावरू शहर–सुनारी एक्सटेंडेंड अपटू रेवाड़ी वाया मसानी–जोनावास	12	36	12	0	432	0	3	0
14	माजरा–कानवस–रेवाड़ी–बसई–	16	18	12	0	216	0	3	0

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
	नांगल—खुटिना								
15	रेवाड़ी—कोटकासिम	10	17	30	0	300	0	0	5
		317	354	328	0	7012	0	104	5

टिप्पणी:- बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

### अनुलग्नक -घ (घ-II)

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत एनसीआर में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

### राजस्थान तथा हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
1	अलवर—दिल्ली वाया रामगढ़— नौगांव—फिरोजपुर झिरका— सोहना—गुडगांव	40	103 31दि.	20	30	2060	1200	10	15
2	अलवर—फरीदाबाद वाया रामगढ़— नौगांव—फिरोजपुर झिरका—तौरु—सोहना—पलवल	40	120	2	2	240	80	1	1
3	अलवर—दिल्ली वाया किंशनगढबास—तिजारा— तापुकड़ा— भिवाड़ी —तौरु—सोहना—गुडगांव	93	56 31दि.	4	0	224	0	2	0
4	अलवर—दिल्ली वाया तिजारा— भिवाड़ी—धारूहेड़ा—मनेसर— गुडगांव	93	20 31दि.	30	8	1470	744	15	4
5	रेवाड़ी—अलवर वाया धारूहेड़ा—भिवाड़ी—तिजारा— किंशनगढबास	93	20	4	2	80	186	2	1

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		राजस्थान हरियाणा	राजस्थान हरियाणा	राजस्थान हरियाणा	राजस्थान हरियाणा	राजस्थान हरियाणा में हरियाणा द्वारा राजस्थान में हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान हरियाणा	राजस्थान हरियाणा	राजस्थान हरियाणा
6	रेवाड़ी—अलवर वाया बोलनी—आलमपुर—बीबीरानी—किशनगढ़बास	70	17	4	2	80	186	0	0
7	रेवाड़ी—खैरथल वाया बोलनी—आलमपुर—कोटकासिम—बीबीरानी	41	17	4	0	68	0	2	0
8	खैरथल—दिल्ली वाया हरसोली—बीबीरानी—कोटकासिम—बोलनी—धारूहड़ा—गुड़गांव	41	71	6	0	426	0	3	0
9	खैरथल—दिल्ली वाया तिजारा—भिवाड़ी धारूहड़ा—गुड़गांव	65	49	4	0	196	0	2	0
10	तिजारा—दिल्ली वाया भिवाड़ी—धारूहड़ा—गुड़गांव	38	49 31दि.	20	8	980	304	10	4
11	तिजारा—फरीदाबाद वाया भिवाड़ी—तावरू—सोहना	37	57	6	0	342	0	3	0
12	अलवर—पानीपत वाया तिजारा	91	118	2	2	236	182	2	1
13	अलवर—मेरठ वाया दिल्ली	38	111 42दि. 56 उ.प्र.	4	0	0	444	4	0
14	अलवर—रोहतक वाया कोटपुतली—रेवाड़ी (नोट:- हांलाकि कोटपुतली एनसीआर से बाहर हैं लेकिन बस शुरू और समाप्त होने के दोनों स्थान एनसीआर में हैं।)	105	70	0	2	0	210	0	2
15	खैरथल—हस्तिनापुर वाया दिल्ली	55हरि. 38दि. 99उ.प्र.	69	0	2	0	110	0	2
16	फरीदाबाद—अलवर वाया सोहना—किशनगढ़	कुछ नहीं	93	2	0	186	0	1	0
17	झज्जर—अलवर वाया रेवाड़ी—	कुछ नहीं	70	2	0	140	0	1	0

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		राजस्थान हरियाणा	हरियाणा	राजस्थान	हरियाणा	राजस्थान द्वारा हरियाणा में	हरियाणा द्वारा राजस्थान में	राजस्थान	हरियाणा
	कोटकासिम—किशनगढ़								
18	रेवाड़ी—कोटकासिम	10	17	30	0	300	0	0	5
						7038	3646		
	प्रस्तावित								
19	अलवर—दिल्ली वाया नौगांव सोहना	38			4		142		02
20	गुरुग्राम—दिल्ली—अलवर	90	54	10	4	540	360	5	02
21	पलवल—दिल्ली—अलवर	60			10		600		05
22	तिजारा—फिरोजपुर—जिरका	16	6	6	06	36	96	3	03
23	तपुकड़ा—नूह वाया खोरी गौलदा	11			04		44		02
24	पलवल—दिल्ली—अलवर वाया सोहना	40			10		400		05
25	रेवाड़ी—अलवर वाया बोलनी बिबरानी, किशनगढ़	70	20	4	4	80	280	2	02
						656	1922		

टिप्पणी:— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

#### अनुलग्नक —डॉ

मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा  
राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र० द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ०प्र०
1	बड़ौत—कांधला—पानीपत	20	45	0	20	0	400	0	4
2	बड़ौत—सोनीपत	21	15	16	36	240	756	4	2
3	ब्रजधाट—गढ़—मेरठ—बागपत—	20	160	2	8	320	160	1	4

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	छ०प्र०	हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र० द्वारा में हरियाणा	हरियाणा	छ०प्र०
	सोनीपत								
4	दादरी—फरीदाबाद	17	43	0	24	0	408	0	8
5	दादरी—गुडगांव	10	43	0	8	0	80	0	2
6	कासना—फरीदाबाद	17	41	0	20	0	340	0	5
7	लोनी मोड़—सोनीपत	20	35	0	16	0	320	0	4
8	मेरठ—अलवर वाया दिल्ली	103	67	0	2	0	206	0	2
9	मेरठ—फरीदाबाद	17	67	0	14	0	238	0	7
10	मेरठ—गुडगांव	10	67	0	14	0	140	0	7
11	नोएडा—सै० 62—फरीदाबाद	17	20	50	28	1000	476	10	7
12	नोएडा—सै० 62—गुडगांव	10	20	50	20	1000	200	10	5
13	बड़ौत—दिल्ली—फरीदाबाद	17	45	0	20	0	340	0	5
14	सोनीपत—बागपत	21	7	50	36	350	756	5	0
15	पानीपत—मेरठ	20	99	2	0	198	0	1	0
16	बड़ौत—फरीदाबाद वाया कश्मीरीगेट—सराय कालेखां	17	52	0	8	0	136	0	4
17	बड़ौत—गुडगांव वाया कश्मीरीगेट—धौलाकुआं	10	52	0	8	0	80	0	4
18	बड़ौत—कश्मीरीगेट—नरेला वाया बहालगढ़	78	52	0	12	0	936	0	6
19	बिनौली—बड़ौत—कश्मीरी गेट अलवर	103	73	0	4	0	412	0	4
20	बड़ौत—पलवल वाया कश्मीरी गेट	42	52	0	12	0	504	0	6
21	बड़ौत—अलवर वाया गुडगांव	103	52	0	6	0	618	0	6
22	कासना—फरीदाबाद	17	17	0	20	0	340	0	3
23	कासना—गुडगांव	10	17	0	8	0	80	0	4
24	बड़ौत—रोहतक वाया सोनीपत	70	15	0	10	0	700	0	5
25	झज्जर—नोएडा वाया आईएसबीटी दिं	45	20	20	0	400	0	5	0
26	मेरठ—सोनीपत	23	59	4	4	236	92	2	2
27	हस्तिनापुर—सोनीपत वाया दौराला—बड़ौत	23	98	0	24	0	552	0	12
28	खुर्जा—जेवर—गुडगांव	78	45	0	2	0	156	0	1
29	मेरठ—रेवाड़ी	110	67	0	2	0	220	0	2
30	सिकन्दराबाद—जेवर—बल्लभगढ़	42	60	0	4	0	168	0	2
31	छपरौली—दिल्ली—फरीदाबाद	17	59	0	12	0	204	0	6

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा द्वारा उ०प्र० में हरियाणा	उ०प्र० द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ०प्र०
32	पलवल—बुलन्दशहर	22	54	4	0	216	0	1	0
33	बुलन्दशहर—दिल्ली—गुडगांव	10	53	0	4	0	40	0	2
34	दिल्ली—बुलन्दशहर	59	54	2	0	108	0	1	0
35	बुलन्दशहर—गुडगांव वाया जेवर, पलवल	69	54	0	8	0	552	0	4
	योग —	1288	1779	200	414	4068	10610	40	135

## प्रस्तावित मार्ग

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा द्वारा उ०प्र० में हरियाणा	उ०प्र० द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ०प्र०
1	भिवानी—गढ़—हापुड—वाया दिल्ली		47	02		94		01	
2	गढ़—दिल्ली		66	02		528		01	
3	फरीदाबाद—गाजियाबाद वाया दिल्ली		14	16		224		04	
4	फरीदाबाद—बुलन्दशहर वाया दिल्ली	..	75	04	..	300	..	02	..
5	करनाल—गाजियाबाद वाया दिल्ली		108	02		216		02	
6	पानीपत—मुजफ्फरनगर	..	68	04	..	272	..	02	..
7	पलवल—बुलन्दशहर वाया दिल्ली	..	75	04	..	300	..	02	..
8	सोनीपत—बड़ौत		16	12		192		06	
						2126			
9	मेरठ—शामली—बिडौली—करना ल	25	100	..	20	..	500	..	05
10	मेरठ—बागपत—सोनीपत	21	59	..	16	..	336	..	04

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा	उ०प्र०	हरियाणा द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र० द्वारा हरियाणा में	हरियाणा	उ०प्र०
11	मुजफ्फरनगर—जीद वाया पानीपत	92	57	..	04	..	228	..	02
12	खुर्जा—जेवर—पलवल—बल्लभगढ़	42	54	..	4	..	168	..	2
13	बुलन्दशहर—जेवर—पलवल—बल्लभगढ़	42	54	..	4	..	168	..	2
14	बुलन्द शहर—रेवाड़ी—वाया जेवर—पलवल—सोहना—धरूहेड़	98	54	..	4	..	392	..	2
15	बुलन्द शहर—सोनीपत वाया मेरठ—बागपत	21	136	..	4	..	84	..	2
16	बुलन्द शहर—करनाल—वाया मेरठ—शामली—बिठौली	25	177	..	4	..	100	..	2
							1976		

टिप्पणी:- निजी क्षेत्र की बसों का परिचालन आपसी सहमति के आधार पर अलग से किया जायेगा।

— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

अनुलग्नक—च  
मंजिली गाड़ी यानों के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किये गये पारस्परिक सामान्य परिवहन करार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्वीकृत एवं प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों की सूची तथा परमिटों की संख्या

### राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन उपक्रम

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		उ०प्र०	राजस्थान	उ०प्र०	राजस्थान	राजस्थान द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र० द्वारा राजस्थान में	उ०प्र०	राजस्थान
1	मेरठ—अलवर वाया दिल्ली, गुड़गांव	58	38	2	2	116	76	2	2
2	बिठौली—बड़ौत—कश्मीरी गेट—अलवर	73	38	4	0	0	152	4	0
3	बड़ौत—अलवर वाया गुड़गांव	52	38	6	0	0	228	6	0
4	खैरथल—हस्तिनापुर वाया	69	99	2	0	198	0	0	2

क्रम सं०	मार्ग	कि०मी०		एकल फेरे		परिचालन कि०मी०		परमिटों की सं०	
		उ०प्र०	राजस्थान	उ०प्र०	राजस्थान	राजस्थान द्वारा उ०प्र० में	उ०प्र० द्वारा राजस्थान में	उ०प्र०	राजस्थान
	दिल्ली—मेरठ								
	योग	252	213	14	2	314	456	12	4

टिप्पणी:— बसें निर्धारित बस टर्मिनलों से शुरू एवं समाप्त होंगी।

राज्यपाल के आदेश से,

संयुक्त शासन सचिव।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।